

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : ई/चि.अ./ जी-332/2024/115

दिनांक : 12.6.2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
टोंक

विषय:- डॉ. गोरधन मीणा चिकित्सा अधिकारी, के आरोप-आरेप विवरण पत्र के
सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ. गोरधन मीणा चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र बनेठी (टोंक) दिनांक 09.03.2021 से 23.03.2022 तक स्वेच्छा से अनुपस्थित
रहे हैं। जिस पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश
प्रदान किये हैं।

अतः चिकित्सक के विरुद्ध आरोप-आरोप विवरण पत्र तैयार कर मय अभिलेखों की
सूची अविलम्ब निदेशालय में भिजवाने का श्रम करे।

अति.निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :

क्रमांक : ई/चि.अ./ जी-332/2024/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेठी (टोंक)।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड/ई-मेल कराने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अति.निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
7960608

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Additional Director
Date: 11-06-2024 05:05:26